

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर पण्डरेऊ टिब्बा

अनुवान चुन्नी राम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 199/2025

निर्णय दिनांक 27/06/25

चुन्नी राम पुत्र जैसा राम जाति जाट निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट


—:निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर पण्डरेऊ टिब्बा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 34 खसरा नं. 434/81 तादादी 0.5058 हैक्ट., खसरा नं. 436/182 तादादी 5.2856 हैक्ट., खसरा नं. 437/282 तादादी 7.9537 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम पण्डरेऊ टिब्बा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम चुनी पुत्र जैसा दर्ज है जो कि गलत है सही नाम चुन्नी राम पुत्र जैसा राम । अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम चुन्नी राम पुत्र जैसा राम किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम कृषिभूमि रोही ग्राम पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर के खाता संख्या 34 खसरा नं. 434/81 तादादी 0.5058 हैक्ट., खसरा नं. 436/182 तादादी 5.2856 हैक्ट., खसरा नं. 437/282 तादादी 7.9537 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम चुनी पुत्र जैसा Delete कर इसके स्थान पर चुन्नी राम पुत्र जैसा राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/06/25 को कैम्प कोर्ट पण्डरेऊ टिब्बा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)